न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

नजरसानी/टीए./4489/2012/बीकानेर

मेघाराम पुत्र श्री कानाराम जाति जाट निवासी 23 बीडीबी खाजुवाला तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर ।

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, खाजुवाला ।

...अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः
श्री मेघाराम चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी
श्री अभिषेक कौशिक, उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 10–7–12

हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 229 के अन्तर्गत इस न्यायालय की माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण संख्या 2030/11 में दिनांक 13–4–2011 को पारित निर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के विशेष आवंटन के प्रार्थना–पत्र को आवंटन अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17–10–93 से खारिज कर दिया । उक्त आदेश दिनांक 17–10–93 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 5–9–98 को दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी को आक्षेपित आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए । पंरतु प्रार्थी द्वारा 9 वर्ष के उपरांत भी आलोच्य आदेश की

सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 13–5–2009 द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल पार्ट–II नियम 30 की पालना नहीं करने के कारण अपील खारिज कर दी जिसके विरूद्ध प्रार्थी नें राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13–4–2011 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए निगरानी खारिज कर दी। माननीय एकलपीठ के उक्त निर्णय दिनांक 13–4–11 से व्यथित होकर यह पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

3. हमने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस इस प्रकरण को विचारार्थ ग्रहण करने के बिन्दु पर सुनी ।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्यतः कथन किया कि रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल पार्ट–II के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 79 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी की पत्रावली तलब की गई थी उसके प्राप्त नहीं होने पर भी माननीय एकलपीठ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई है जो एक विधिक त्रुटि है । इस प्रकार बगैर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाये निर्णय नहीं किया जा सकता । यह एक अभिलेख पर स्पष्ट दिखाई देने वाली त्रुटि (Error apparent on the face of record) है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण न्यायिक मामला नहीं है वरन् आवंटन का मामला है तथा आवंटन के मामलों रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल लागू नहीं होता है । इसके अलावा उन्होंने कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 13–4–2011 न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि माननीय एकलपीठ द्वारा दिया गया निर्णय पूर्णतया न्याय, नियम एवं रेकार्ड के अनुरूप है जिसमें किसी भी प्रकार की अनियतितता एवं क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा उठाये गए सभी बिन्दुओं पर माननीय एकलपीठ द्वारा पूर्णतया गौर करके ही निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है । पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है जिसमें केवल अभिलेख पर दिखाई देने वाली प्रत्यक्ष त्रुटि को ही देखा जा सकता है । अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में ए.आई.आर. 1995 पृष्ठ 455 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

7. यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि आलोच्य निर्णय में व्यक्त किया गया अभिमत गलत हो सकता है किन्तु ऐसा अभिमत पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । इस प्रकार पुनर्विलोकन का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है ।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2005(1) पृष्ठ–545 में सुरेन्द्र कुमार वकील एवं अन्य बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मध्य प्रदेश एवं अन्य के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

> A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त डब्ल्यू.एल.सी. उच्चतम न्यायालय 2003(1) पृष्ठ–499 हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मोहिन्दर सिंह व अन्य में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि :–

> "Hearing of review does not mean giving one more chance for rehearing matter already disposed of."

न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ–455 श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि :–

> Error apparent on face of record - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions.

9. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–4–2011 में ऐसी कोई गलती जो अभिलेख पर सहज रूप से दृष्टिगोचर होने वाली हो नहीं बतायी गयी हैं जिससे इस पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जा सके। उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर माननीय एकलपीठ ने विचार कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है । जहां तक विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 79 के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किए बगैर निर्णय पारित किया है, सही नहीं है क्योंकि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील को दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त प्रकरण में यथास्थिति के आदेश भी दिए गये थे। इसके पश्चात करीब 11 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी जब प्रार्थी आलोच्य आदेश दिनांक 17–10–93 की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं करा सका तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील को खारिज करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। जहां तक राजस्व अपील प्राधिकारी की पत्रावली मंगाने का प्रश्न है, माननीय एकलपीठ द्वारा निगरानी को ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज किया गया है जिसमें पत्रावली की आवश्यकता नहीं होती है । माननीय एकलपीठ द्वारा विधिवत रूप से सभी बिन्दुओं पर गौर कर राजस्व अपील

प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि की गई है तथा निगरानी खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है ।

10. हमारी सुविचारित राय में इस न्यायालय की एकलपीठ ने प्रार्थी द्वारा उठाये गए सभी बिन्दुओं पर पूरी तरह से गौर किया एवं तथ्यात्मक तथा विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया है । विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में ऐसा कोई बिन्दु नहीं उठाया है जिसके आधार पर यह न्यायालय अपने पुनर्विलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके।

11. परिणामतः पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.गुप्ता)
सदस्य